न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानन्द अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 40/2016 निगरानी

उनवान

1.श्री होकमा पिता देबीलाल गुर्जर निवासी सुरास, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
2.श्री किशना पिता पन्ना गुर्जर निवासी सुरास तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
——निगराकार

बनाम

1. श्री नंदा पिता रतना धाकड़ निवासी सुरास , तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सुरास,, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

——गैर निगराकारान्

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति माण्डलगढ बमामले पट्टा संख्या 12 जरिये पत्रावली संख्या 15/95–96 दिनांक 02/08/1995

उपस्थित :– श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधि0 निगराकार की ओर से
श्री पी0सी0सारस्वत अधि0 गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 12/07/2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर निगराकारान् के विरूद्ध दिनांक 08/09/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत सुरास पंचायत समिति माण्डलगढ ने तथाकथित आबादी भूमि का पट्टा संख्या 12 दिनांक 24.01.1996 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पत्रावली संख्या 15/95–96 दिनांक 02.08.1995 से जारी किया जाना बताया जो सर्वथा फर्जी, नियमों के विरूद्ध व मिलीभगत से जारी किया जाना होकर निरस्त योग्य है।

निगरानी में यह भी उल्लेख किया गया कि विवादित पट्टा बिना पत्रावली कायम किये हुए ग्राम पंचायत केसरपंच व सचिव के हस्ताक्षर बाद की तारीखों में करवाकरपट्टा जारी किया गया है। चूंकि तथाकथित पत्रावली संख्या 15 कायम ही नहीं हुई है। भूमि विक्रय बाबत बनाये गये नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। बिना नियमों की पालना किये ही विपक्षी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 के पक्ष में विपक्षी संख्या 02 के द्वारा बापी पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा भूमि विक्रय करने से पूर्व न तोमौका निरीक्षण ग्रामपंचायत की कमेटी द्वारा करवाया गया और न ही आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा उक्त भूखण्ड के निलामी की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। पट्टा संख्या 13 में दिये गये नक्शे व पड़ौस की भूमि के अनुसार यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर बिलानामराजस्व भूमि है। जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस भूमि पर निगराकार व अन्य ग्रामवासियान का उपयोग उपभोग रोड़ी डालने व मवेशियों को बांधने व कृषि उपकरण रखने हेतु पुश्तैनी बाड़े के रूप में अस्थाई रूप से उपयोग में लाई जाकर विपक्षी संख्या 01 का आज तक भी कब्जा नहीं है। निगराकार ने बाउण्ड्रीवॉल बनाकर करीब 25–30वर्षों सेउक्त बाड़े का उपयोग उपभोग कर रहा है। यदि पट्टा जारी करने से पहले आपत्तियां आमंत्रितकी जाती तो अवश्य ही निगराकार व अन्य ग्रामवासियान द्वारा इस प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की उक्त कार्यवाही का विरोध किया जाता परन्तु विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 से मिलीभगत कर यह बापी पट्टा जारी कराया है जो निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 24.01.1996 को भूमि विक्रय के 250/– रूपये की राशि जमा करा रसीद संख्या 20 दिनांक 24.01.1996 को जारी कर दी गई इससे विपक्षी संख्या 01 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। विपक्षी संख्या 02 के कार्यालय में केवलमात्र बापी पट्टा व उक्त रसीद के कागजों के अलावा अन्य पत्रावली नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र विपक्षी संख्या 02 ने दिनांक 31.05.2016 को जारी किया है। जिसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 01 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश माण्डलगढ के न्यायालय में प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध अवैध कब्जा हटाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 32/2014 ई0दी0 पेश किया तब सर्वप्रथम इस तथाकथित बापी पट्टा जारी किये जाने की जानकारी हुई। जिससे बापी पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी बापी पट्टा संख्या 12 दिनांक 24.01.1996 जरिये तथाकथित मिसलसंख्या 15/95–96 दिनांक 02.08.1995 ग्राम पंचायत सुरास को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार श्री नन्दा के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 12 दिनांक 24.01.1996 को ग्राम पंचायत के द्वारा समस्त नियमों की पालना करते हुए सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर से विधिवत पत्रावली कायम की जाकर जारी किया जो सही है। पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित की गई तथा विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तथाकथित भूखण्ड पर निगराकार प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। निगराकार जबरन भूखण्ड हड़पना चाह रहे है। निगराकार के विरूद्ध उक्त भूखण्ड बाबत पुलिस थाना बीगोद में 447/34 भा0द0सं0 में चालान हुआ जो जैर कार्यवाही है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

निगरानी के साथ पट्टा संख्या 12 की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम पंचायत सुरास से जारी पत्रांक ग्रा.पं./स्पेशल–1/2016–17 दिनांक 31.05.2016, श्री नन्दा पिता रतना धाकड़ के द्वारा ग्राम पंचायत सुरास में राशि 250/–रूपये जमा कराने की रसीद की फोटो प्रति,सिविल न्यायालय क0ख0माण्डलगढ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2014 ई0दी0 नन्दा बनाम होकमा के नोटिस व वादपत्र की प्रति प्रस्तुत की। गैर निगराकार के द्वारा पुलिस थाना बीगोद द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट नम्बर 164/2014 की प्रमाणित फोटो प्रति, ग्राम पंचायत सुरास द्वारा थानाधिकारी बीगोद के नाम लिखा पत्र दिनांक 08.10.2014 की प्रमाणित फोटो प्रति, श्री मांगीलाल धाकड़, श्री भगवान लाल धाकड़, श्री बालूराम मीणा, श्री जसवंत सिंह पंवार के बयानों की प्रमाणित फोटो प्रति जो थाना बीगोद की मु0नं0 231/14 में दर्ज किए उनकी प्रतियां प्रस्तुत की।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की निगराकार के अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गई। वकील निगराकार के द्वारा बहस में बताया कि पट्टा संख्या 12 से सम्बन्धित भूखण्ड बिलानाम भूमि में जारी किए जाने से खारिज योग्य है साथ ही उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार का कभी कब्जा नहीं रहा है। पंचायत के द्वारा पट्टा जारी करने में किसी प्रकार के नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे भी पट्टा खारिज योग्य है। गैर निगराकार ने लिखित बहस में निगरानी में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं निगरानी के तथ्यों पर मनन किया। ग्राम पंचायत सुरास के द्वारा पत्रावली संख्या 15/95–96 दिनांक 02.08.1995 में 50 गुणा 50 वर्गफीट भूखण्ड का पट्टा संख्या 12 /95–96 दिनांक 24.01.1996 को आबादी भूमि में जारी किया जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में निगराकार के द्वारा प्रस्तुत की परन्तु उक्त भूखण्ड बिलानाम भूमि में स्थित है इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज यथा मौका रिपोर्ट या जमाबन्दी की नकल/पटवारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त भूखण्ड आबादी में नहीं होकर बिलानाम भूमि मे है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार ने अपना कब्जा होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए बल्कि पत्रावली में थाना बीगोद में दर्ज फौजदारी प्रकरण में जिन गवाहों श्री मांगीलाल धाकड़, श्री भगवान लाल धाकड़, श्री बालूराम मीणा, श्री जसवंत सिंह पंवार के बयानो की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई उसमें सभी गवाहों ने उक्त वादोक्त भूखण्ड के साथ ही गैर निगराकार नन्दा के पुत्र भैरू का भी प्लॉट है अर्थात ये दो प्लॉट है जिस पर पत्थरों का कोट बना हुआ है। उक्त भूखण्ड पर नन्दा धाकड़ का पिछले 20 वर्षों से काबिज है व ग्राम पंचायत से पट्टे जारी है। उक्त भूखण्डो पर निगराकार होकमा गुर्जर, किशना गुर्जर, मनोहर गुर्जर निवासियान सुरास ने जबरन घुसकर पत्थरों की कोट करने लगे व रोड़ियां डालने लगे तथा लड़ाई झगड़ा करने लगे । विपक्षी होकमा, किशना व मनोहर गुर्जर उक्त प्लॉटों को हड़पना चाहते हैं। निगराकार ने स्वयं ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उनमें सिविल न्यायालय क0ख0माण्डलगढ के न्यायालय में प्रकरण संख्या 32/2014 बाबत हटाये जाने अवैध कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नन्दा बनाम होकमा के मध्य विचाराधीन है। इस प्रकार गवाहों ने अपने बयानों में पट्टा संख्या 12 के वादोक्त प्लॉट पर गैर निगराकार का कब्जा बताया है। ग्राम पंचायत के द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.05.2016 तथा थानाधिकारी, बीगोद को लिखे पत्र दिनांक 8.10.2014 में स्पष्ट किया कि उक्त पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं है परन्तु इनके द्वारा भूखण्ड के लिए जो राशि 250/– रूपये जमा कराये हैं उनकी रसीदें रिकॉर्ड में उपलब्ध है। जो कि पत्रावली में पेश है। निगराकार के द्वारा पट्टा संख्या 13 का भी उल्लेख किया परन्तु उससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए हैं। पट्टा संख्या 12 से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से पत्रावली में प्रस्तुत पट्टे की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त पट्टा संख्या 12 जारी नहीं होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट एवं पट्टे वाली भूमि बिलानाम भूमि में स्थित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। इस प्रकार निगराकार पट्टा संख्या 12 के ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किए जाने एवं बिलानाम भूमि में स्थित होने के तथ्य को सिद्ध कराने में असफल रहा है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुरास, पंचायत समिति माण्डलगढ बमामले पट्टा संख्या 12 दिनांक 24/01/1996 के कम में निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा